

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/3439-47

दिनांक: 24-2-2016

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET)" के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में "करस्टम हायरिंग केन्द्र" की स्थापना हेतु श्री ज्वालाराम कुम्हार, व्यवस्थापक पिनान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पिनान प.स. रेणी, जिला अलवर को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद अलवर द्वारा की गई अनुशंसा तथा भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों/यंत्रों के विहित मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त पिनान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पिनान प.स.रेणी, जिला अलवर को "करस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, पं.स. रेणी, जिला अलवर" की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट "1" में वर्णित शर्तों तथा पंजीकृत सोसाइटी के नियमों/उपनियमों की पालना के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। "करस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची परिशिष्ट "2" के अनुसार होगी।

(डॉ० नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन

विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/3439-47

दिनांक: 24-2-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि भरतपुर।
5. उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद अलवर को उनके द्वारा अप्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पालना हेतु आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त कर आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।
6. शाखा प्रबन्धक अलवर सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक अलवर जरिये उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद अलवर।
7. श्री ज्वालाराम कुम्हार, व्यवस्थापक पिनान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पिनान प.स.रेणी, जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद अलवर कार्यालय को प्रस्तुत करे तथा सम्बन्धित बैंक शाखा से राम्पर्क कर करस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।

9. पं.स. रेणी, 150.

10. सहायक निदेशक, कृषि, जयपुर.


(एल. एन. कुमावत)

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

“कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तों जिनके अध्यक्षीन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

- i. कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स. रेणी जिला अलवर की स्थापना हेतु ऋण अलवर सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक अलवर से प्राप्त किया जायेगा। आवेदक को अनुदान राशि केवल परिशिष्ट '2' में वर्णित कृषि यंत्रों/उपकरणों की कुल लागत के 40% राशि के तुल्य देय होगी।
- ii. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण आवेदक पिनान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पिनान प.स.रेणी, जिला अलवर को स्वीकृत किया जायेगा। ऋण अदायगी में आवेदक द्वारा बैंक की राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि जो परिशिष्ट '2' में वर्णित कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण की 40% राशि के तुल्य होगी का समायोजन एक मुश्त रूप से बैंक द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऋण राशि अदा करने में असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि एवं देय ब्याज का देनदार रहेगा। बैंक को अनुदान राशि पुनः विभाग को लौटानी होगी।
- iii. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। (Lock-in Period) की अवधि के पूर्व आवेदक द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर आवेदक अनुदान का पात्र नहीं रहेगा। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि विभाग को वापिस की जावेगी।
- iv. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी तब तक उस पर विभाग/आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा आवेदक से ब्याज लिया जायेगा।
- v. योजनान्तर्गत कय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होगी। इस अवधि के पूर्व बैंक ऋण अदा हो जाने की स्थिति में भी कृषकों को कस्टम हायरिंग सेवायें इस अवधि तक दी जाना आवश्यक होगी। इस हेतु आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा।
- vi. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
- vii. योजना के तहत कय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय प्रचलित ब्याज के वापस करनी होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- viii. आवेदक द्वारा बैंक ऋण अदा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपरांत वसूल की गई राशि में से प्रथमतः बैंक की ऋण राशि (ब्याज सहित) समायोजित की जाकर शेष राशि आवेदक को लौटाई जायेगी।
- ix. कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर की स्थापना हेतु कय की गई मशीनों/यंत्रों के शोड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव आवेदक को स्वयं करना होगा। आवेदक को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।
- x. कस्टम हायरिंग के द्वारा कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये।
- xi. कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे।

- xii. कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- xiii. आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र हेतु क्रय किये जा रहे ट्रैक्टर चालित उपकरण/यंत्र ट्रैक्टर की वी.एच.पी. के संगत (Compatible) हो केन्द्र के संचालक साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।
- xiv. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यों का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर द्वारा एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
- xv. कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनान, प.स.रेणी, जिला अलवर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार उपकरणों/यंत्रों का क्रय किया जायेगा। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों/यंत्रों के निर्माता/डीलर उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद द्वारा उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य जिलों में पंजीकृत हो।
- xvi. राशि रु. 25,000 से अधिक के कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा तथा अन्य स्वचालित मशीन/यंत्र भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध फर्मों से ही क्रय किये जायेंगे तथा
- xvii. केन्द्र हेतु अनुमोदित समस्त यंत्रों/उपकरणों के विस्तृत स्पेशिफिकेशन आवेदक द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र के संलग्नक के रूप में दिये जायेंगे।
- xviii. आवेदक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।



"कस्टम हायरिंग केन्द्र, पिनाम, प.स.रेणी, जिला अलवर हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची

क्र.स.	कस्टम हायरिंग केन्द्र के अन्तर्गत प्रस्तावित कृषि यंत्रों/उपकरणों का विवरण	कस्टम हायरिंग केन्द्र के अन्तर्गत प्रस्तावित कृषि यंत्रों/उपकरणों की संख्या
1	ट्रेक्टर	1
2	सीडकम फर्टीलाइजर ड्रिल	1
3	कल्टीवेटर	1
4	रोटावेटर	1
5	मल्टीक्रोप थ्रेसर	1

